


19/12/25

पत्रावली आय पेश हुई। वकील प्रार्थी उप।
विप्रार्थी तहसीलदार चौहटन की वाद नमिली
रिपोर्ट प्राप्त। वकील प्रार्थी की स्कर्तका
वदल धुनी गई। वदल पर मनन किया।

पत्रावली व खलमन दस्तावेजों का अवलीकन
किया। जिसके आधार पर प्रार्थी का शर्पना पत्र
आदेश 09 नियम 04 सीपीसी का स्वीकार
किया जाकर मूल आवदन 39/2021 मनवान

बाबूलाल बनाम तहसीलदार चौहटन अंगन
धारा-89, 188, 209 RT Act व
धारा 131, 136 RLR गिफ का पुनः बरामद

कर इज्जि रजि. करने का आदेश दिया जाता
है। पत्रावली फंसल शुमार होकर शिखिल
इफतर हो एवं नंबर से पुन हो।


उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

